

Date  
6/05/2020

Subject - (Contemporary India and Education)  
Topic - (NCTE)

B.Ed. ①  
1st Year

## NCTE के कार्य

- 1] अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना व प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना।
- 2] अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति या सम्बद्धिकरण से सम्बन्धित नियमों का निर्धारण कर उन्हें मान्यता एवं सम्बद्धिकरण प्रदान करना।
- 3] शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता का निर्धारण करना।
- 4] अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करना और उनमें सुधार व उन्नयन के लिए योजनाएँ प्रस्तावित करना।
- 5] विभिन्न स्तरों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के नियम, प्रवेश की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम की अवधि, शुल्क आदि के विषय में दिशा-निर्देश देना।
- 6] स्वीकृत संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानदण्ड एवं मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना।
- 7] मानकों के अनुसार कार्य न करने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करना।
- 8] अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में नवीन पाठ्यक्रमों और गतिविधियों के समावेश के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना।
- 9] अकादमिक गतिविधियों का आयोजन करना।
- 10] शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नवीन संस्थाओं की स्थापना करना।
- 11] अध्यापक शिक्षा की व्यापारिकरण से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- 12] अध्यापक शिक्षा प्रगति में समन्वय स्थापित करना।
- 13] केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित कार्यक्रमों को पूरा करना।
- 14] अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करना।

P.T.O.



## NCTE के कार्यों की समीक्षा

- सकारात्मक पक्ष :-**
- 1) देश में पत्राचार माध्यम से बी० एड० करने वाली शिक्षा संस्थाओं की प्रतिबन्धित किया और दूरगामी शिक्षा के माध्यम से बी० एड० के दिशा निर्देश जारी किए।
  - 2) अध्यापक शिक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% प्राप्तांक को अनिवार्य बनाया।
  - 3) अध्यापक शिक्षा में अस्वाची प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया और अध्यापक शिक्षा में शिक्षक द्वात्र अनुपात 1:10 किया।
  - 4) अध्यापक शिक्षा पदान करने वाली प्रत्येक संस्था को NCTE से मान्यता लेना अनिवार्य किया।
  - 5) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य दिवसों का निर्धारण किया गया।
  - 6) बी० एड० एवं एम एड० के पाठ्यक्रम की एक वर्ष से बढ़ाकर, सन 2015 से दो वर्ष कर दिया गया।
  - 7) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया।

## नकारात्मक पक्ष :-

NCTE के नकारात्मक पक्ष बिन्दु निम्नलिखित हैं -

- 1) बिना कोई योजना बनाये स्वायत्तपोषित शिक्षा संस्थाओं को मान्यता दी गयी है, जिससे देश में इनका जाल सा बिद्ध गया है। कुछ ही दूरी पर यह संस्थाएँ देखने की मिल रही हैं।
- 2) अध्यापक शिक्षा - संस्थाओं की मान्यता के भानक तो बहुत आकर्षक और कठोर है लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है।
- 3) शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता और वेतनमूल निर्धारित किये गए हैं परन्तु इनका पालन कुछ ही संस्थाओं में किया जा रहा है। व शिक्षा संस्थाओं में ली जाने वाली फीस में बहुत भिन्नता है।
- 4) शिक्षक द्वात्र अनुपात 1:10 केवल कागजी तक सीमित है। इसका पालन नहीं किया जाता है।
- 5) सभी शिक्षा - संस्थाओं में सक्नवय स्थापित करने में भी पारिषद् निष्फल रही।

P.T.O.



6) अधिकांश द्वारा Question banks or guides पढ़कर परीक्षा में भाग लेते हैं पाठ्य-पुस्तकों के नाम की भी जानकारी नहीं होती। इस स्थिति में NCTE ने कोई कदम नहीं उठाया।

7) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अध्यापक शिक्षा में बढ़ते व्यापारीकरण को रोकने में सफल नहीं हो सकी।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अच्छी भावना से, अच्छे उद्देश्य निर्धारित करते हुए, अध्यापक शिक्षा में क्रान्तिकारी सुधार करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद ने अनेक अच्छे कार्य किए हैं, अनेक अच्छी योजनाएँ बनायीं हैं और उनको कार्यान्वित करने का प्रयास भी किया है लेकिन भ्रष्टाचार के कारण यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पायी है। उद्देश्यों की सफलता के लिए NCTE के दायित्व है कि वह मानकी के अनुसार कार्य न करने वाली संस्थाओं की मान्यता रद्द करे और पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। शिक्षकों व छात्रों की भी अपने-अपने दायित्वों की संतुलित कर्मठता और ईमानदारी से निभाना चाहिए।

Complete

Kidni Tyagi

6/05/2020